राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

शुद्धि पत्र

दिनांक 10 अप्रैल, 1978

क्रमांक 553-ज(II)-78/10427.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 3099-ज(II)-77/3242, दिनांक 1 फरवरी, 1978 (जो कि हरियाणा सरकार के राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी, 1978 में प्रकाशित हुई है), के क्रमांक संख्या 1 के कालम 4 में गांव का नाम दमदम की बजाये दमदमा पढ़ा जाए ।

क्रमांक 429-ज(II)-78/10432.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फ़सल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रुपये
1	गुड़गांवा	श्रीमती कड़ीया देवी, विधवा श्री मोहर सिंह	ढानी चितरसेन (श्रोहुवा कलां)	गुड़गांवा	रबी, 1976 से	150
2	,,	श्रीमती भगवानी देवी, विधवा श्री शेर सिंह	फरुख नगर	,,	खरीफ़, 1965 से रबी, 1970 तक खरीफ़, 1970 से	100 150
3	,,	श्रीमती भोमड़ी देवी, विधवा श्री कन्हैया लाल	द्वालियाकी	,,	खरीफ, 1965 से रबी, 1970 तक खरीफ़, 1970 से	100 150
4	,,	श्री धर्मी चन्द्र, पुत्र श्री लखी सिंह	धामड़ोज	,,	खरीफ, 1976 से	150

क्रमांक 527-ज(I) 78/10435.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :--

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फसल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रुपये
1	अम्बाला	श्री इमली राम, पुत्र श्री नानू	नमदारपुर	जगाधरी	रबी, 1973 से	150

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फ़सल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रुपये
2	अम्बाला	श्री गुलतान सिंह, पुत्र श्री जैमल सिंह	तलहेडी गुजरान	अम्बाला	रबी, 1973 से	150
3	,,	श्री साधू सिंह, पुत्र श्री हीरा सिंह	रामगढ़	नारायणगढ़	रबी, 1973 से	150
4	,,	श्री ज्ञान सिंह, पुत्र श्री नानक सिंह	नसरौली	,,	रबी, 1973 से	150
5	,,	श्री बरयाम सिंह, पुत्र श्री नानक सिंह	खानपुर लुबाना	,,	रबी, 1973 से	150

दिनांक 11 अप्रैल, 1978

क्रमांक 431-ज(II)-78/10596.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसे कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती अनोखी देवी, विधवा श्री थान सिंह, गांव भोंडसी, तहसील व जिला गुड़गावां, को रबी, 1976 से 200 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 433-ज(II)-78/10600.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती मिश्री देवी, विधवा श्री हीरा लाल, गांव पंचगावा, तहसील व जिला गुड़गावां, को रबी, 1977 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 567-ज(II)-78/10604.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रघुबीर सिंह, पुत्र श्री तेज सिंह, गांव मन्दपुरा, तहसील व जिला गुड़गावां, को रबी, 1973 से 150 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 432-ज(II)-78/10608.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती सुरजी बाई, विधवा श्री छोटन सिंह, गांव नरहेड़ा, तहसील व जिला गुड़गावां, को खरीफ़, 1975 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 555-ज(I)-78/10615.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, की युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 41-ज(I)-78/4313, दिनांक 10 फ़रवरी, 1978, जो कि हरियाणा राजपत्र दिनांक 21 फरवरी, 1978 में मुद्रित की गई है, की तीसरी लाईन में गांव का नाम "कांवना" की बजाए "कांवला" पढ़ा जाये।

आर० एन० सिंगल,

विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।